



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

G20



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

पत्र संख्या : सं.रा.भा.स./मास्टरफाइल/2016/1368

दिनांक: 21/05/2025

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)/ निदेशक, पीडीनास
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)/अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त
(प्र.से.प्र.), मुख्यालय
सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि
आयुक्त

विषय: संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 'ग' क्षेत्र में विज्ञापनों को हिंदी में अनिवार्य रूप से जारी करने तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हिंदी में जारी विज्ञापनों, होर्डिंग एवं बैनर पर व्यय बढ़ने के संबंध में ।

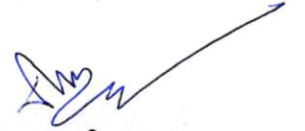
महोदया/महोदय

कृपया उपर्युक्त विषय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 02.05.2025 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/1/2025-रा.भा.नी. के अंतर्गत प्रेषित केन्द्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अ.शा.पत्र सं. ई-11016/04/2019 रा.भा. दिनांक 25.03.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लें, जिसके माध्यम से 'क', 'ख' तथा विशेषकर 'ग' क्षेत्र में विज्ञापनों को हिंदी में अनिवार्य रूप से जारी करने तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हिंदी में जारी विज्ञापनों, होर्डिंग एवं बैनर पर व्यय बढ़ने के संबंध में सूचना दी गई है।

2. तदनुसार, संगठन के सभी कार्यालयों, विशेषकर 'ग' क्षेत्र में स्थित फील्ड कार्यालयों, से अनुरोध है कि कृपया भविष्य में जारी किए जाने वाले सभी विज्ञापनों को अनिवार्य रूप से हिंदी भाषा में भी जारी किया जाना सुनिश्चित करें ताकि संसदीय राजभाषा समिति के 9वें खंड की संस्तुतियों पर माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीया

संलग्न: यथोपरि ।



(वीणा रानी यादव)

निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त, एनडीसी को वेब अपलोड के अनुरोध सहित ।
2. सभी उप निदेशक (राजभाषा)/सहायक निदेशक(राजभाषा)/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।